 2010:CGHC:10590

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 4178/1998

याचिकाकर्ता : अतहर अली खान

प्रति

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश सुनाये जाने हेतु दिनांक 08 सितंबर, 2010 को सूचीबद्ध करे

हस्ताक्षरित/-

सतीश के. अग्निहोत्री,

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रिट याचिका क्रमांक 4178/1998

याचिकाकर्ता : अतहर अली खान

प्रति

उत्तरवादीगण : अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य

याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226/227 भारतीय संविधान

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित: श्री आशीष श्रीवास्तव सहित श्री हर्ष वर्धन, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता।

उत्तरवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

श्री गैरी मुखोपाध्याय, अधिवक्ता वास्ते हस्तक्षेपकर्ता।

आदेश

(दिनांक 08 सितंबर, 2010 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.06.1995 (परिशिष्ट पी/2) के उस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है जिसके द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 5 को पदोन्नति प्रदान की गई थी, और साथ ही यह प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता को विधि-अधिकारी के पद पर

13.06.1996 से प्रभावशील रूप से वित्तीय तथा अन्य पारिणामिक लाभों सहित पदोन्नति दी जाए।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका के निराकरण हेतु प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, प्रारंभ में याचिकाकर्ता की नियुक्ति उत्तरवादी दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) में वर्ष 1983 में ग्रेड–III लिपिक के रूप में की गई थी। तत्पश्चात् वर्ष 1988 में उसे विधि निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 21.04.1995 (परिशिष्ट आर/1) के परिपत्र के माध्यम से, विधि विभाग में गैर-कार्यपालक से कार्यपालक श्रेणी में पदोन्नति हेतु पात्र विभागीय अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। याचिकाकर्ता ने अन्य व्यक्तियों तथा उत्तरवादी क्रं.5 के साथ मिलकर उसी के लिए आवेदन किया। चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सम्मिलित किया गया। विधि विभाग में कार्यपालक श्रेणी के पद पर नियुक्ति दो स्रोतों से होती थी—एक विभागीय पदोन्नति के माध्यम से (50%) और अन्य 50% सीटें प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आरक्षित थीं। विभागीय पदोन्नति के माध्यम से पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता विधि स्नातक होना तथा विधि विभाग (T&S Grade A) में तीन वर्ष का अनुभव एवं E-1 ग्रेड में दो वर्ष का अनुभव आवश्यक था। प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता कला, विज्ञान या वाणिज्य में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की उपाधि तथा विधि में प्रथम श्रेणी की उपाधि के साथ सिविल/दांडिक एवं कराधान प्रकरणों में पाँच वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना अपेक्षित था (परिशिष्ट आर/4)। विभागीय परीक्षा में याचिकाकर्ता ने कुल 68 अंक प्राप्त किए जबकि उत्तरवादी क्रमांक 5 ने 52.8 अंक प्राप्त किए। यदि लिखित परीक्षा के 200 अंकों को 40 में परिवर्तित नहीं किया जाता, तो याचिकाकर्ता को 149 अंक तथा उत्तरवादी क्रमांक 5 को 144 अंक प्राप्त हुए। किसी भी दशा में, यह निर्विवादित है कि जो भी मानदंड अपनाया गया हो, याचिकाकर्ता ने विभागीय परीक्षा में उत्तरवादी क्रमांक 5 की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 5 को दिनांक 20.04.1998 के आदेश द्वारा पदोन्नति दी गई। याचिकाकर्ता को दिनांक 25/26.05.1998 (परिशिष्ट पी/4) के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि विधि-अधिकारी के पद पर कार्यपालक श्रेणी (E-2 ग्रेड) में पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की पैनल की अवधि समाप्त हो चुकी है, और इस कारण उसे रिक्ति के अभाव में पदोन्नत नहीं किया जा सका।

3. श्री श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि एक विधि-निरीक्षक, श्री ए. के. शुक्ला, को 20.04.1999 के आदेश के अनुसार पदोन्नत किया गया, जो अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष बाद का था। श्री शुक्ला को 01.12.1997 को अनुमोदित पैनल के पुनः प्रमाणीकरण द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई, और उन्हें वैधता अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात पदोन्नति दी गई। श्री श्रीवास्तव ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को ग्रेड E-1 में रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर शामिल न किया जाना उचित नहीं था, क्योंकि E-3 ग्रेड के तीन पदों को पैनल से भरा जाना था, क्योंकि E-2 और E-3 ग्रेड "क्लस्टर" के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। अतः यदि E-3 और E-4 ग्रेड के पदों को विधिवत भरा गया होता, तो E-2 ग्रेड में अधिक रिक्तियाँ होतीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. श्री श्रीवास्तव ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि जहाँ तक रिक्ति की उपलब्धता का प्रश्न है, इसी प्रकार की स्थिति में श्री ए. के. शुक्ला ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 1282/1997 दायर की थी, जिसे यह निर्देश देते हुए निराकृत किया गया कि याचिकाकर्ता के प्रकरण पर तीन सप्ताह के भीतर विचार किया जाए। उक्त आदेश दिनांक 23.03.1998 (परिशिष्ट पी-6) के अनुपालन में श्री शुक्ला को विधि-अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।

उक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि उत्तरवादी एस.ई.सी.एल. में विधि-अधिकारी के पदों की संख्या अधिक थी, जो उस समय रिक्त पड़ी हुई थी।

5. श्री श्रीवास्तव ने ***विजय कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम अध्यक्ष, स्कूल सेवा आयोग एवं अन्य***[1] के निर्णय का अवलंब लिया है, इस तर्क के समर्थन में कि यदि रिक्ति विद्यमान थी तो अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करना और पैनल को समाप्त हो जाने देना अनुचित है। इसके अतिरिक्त, ***के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य***[2] तथा ***हेमानी मल्होत्रा बनाम उच्च न्यायालय दिल्ली***[3] के प्रकरणों का भी अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उत्तरवादी-एस.ई.सी.एल. की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि, उत्तरवादी-एस.ई.सी.एल. द्वारा दायर प्रत्युत्तर व लिखित-कथनों का अवलोकन करने पर यह प्रतिवेदित किया गया है कि याचिकाकर्ता के तर्क अस्पष्ट एवं निराधार हैं। उत्तरवादीगण द्वारा दिनांक 21.04.1995 के परिपत्र के माध्यम से सभी पात्र विभागीय उम्मीदवारों से उनके अभ्यर्थन को गैर-कार्यपालक से कार्यपालक श्रेणी में विधि विभाग के अंतर्गत विभागीय कोटे के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विचारार्थ आमंत्रित किया गया था। तत्पश्चात 10.12.1995 को लिखित परीक्षा एवं 24.02.1996 को साक्षात्कार आयोजित हुआ। साक्षात्कार के पश्चात याचिकाकर्ता का चयन तो हो गया, किन्तु सूची की वैधता अवधि में रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण उसकी पदोन्नति नहीं हो सकी। उत्तरवादी आगे यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 5 के प्रकरण की तुलना अपने प्रकरण से नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 5 को पदोन्नति केवल इस कारण से दी गई कि उसके लिए चयन प्रक्रिया याचिकाकर्ता से पूर्णतया भिन्न एवं

[1] (2001) 4 एस सी सी 289
[2] (2008) 3 एस सी सी 512
[3] (2008) 7 एस सी सी 11

असंबद्ध थी। यद्यपि उत्तरवादी क्रमांक 5 विभागीय उम्मीदवार था, परन्तु उसे प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आरक्षित कोटे के विरुद्ध पदोन्नति दी गई, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आवश्यक सभी अर्हताएँ पूर्ण की थीं अर्थात प्रथम श्रेणी विधि स्नातक। विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु चयन मानदण्ड 40 अंक लिखित परीक्षा हेतु, 15 अंक गोपनीय प्रतिवेदन हेतु, 10 अंक शैक्षणिक योग्यता हेतु, 25 अंक साक्षात्कार हेतु एवं 10 अंक अनुभव हेतु निर्धारित था। इसके विपरीत, प्रत्यक्ष भर्ती हेतु चयन मानदण्ड, प्रथम श्रेणी विधि स्नातक के साथ 200 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 40 अंकों के साक्षात्कार का था। दिनांक 21.04.1995 के परिपत्र के संबंध में उत्तरवादी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यह परिपत्र उन उम्मीदवारों हेतु था जो प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी स्नातक एवं प्रथम श्रेणी विधि स्नातक थे। उत्तरवादी क्रमांक 5 ने इसी परिपत्र के अंतर्गत आवेदन किया, जबकि याचिकाकर्ता एवं अन्य विभागीय उम्मीदवारों ने 30.05.1995 के परिपत्र के अनुपालन में आवेदन किया। यह स्पष्ट है कि दोनों परिपत्र एवं विज्ञापन भिन्न-भिन्न थे तथा दोनों में चयन मानदण्ड भी भिन्न-भिन्न थे। यह कोई ऐसा प्रकरण नहीं है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 को कम अंक प्राप्त होने के बावजूद चयनित कर लिया गया। चयन प्रक्रिया दोनों के मामलों में 08.11.1991 के परिपत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न थी, जिसके अनुसार चयनित उम्मीदवारों की पैनल सूची एक वर्ष के बाद समाप्त हो जाती थी। अतः याचिकाकर्ता यद्यपि चयन सूची में सम्मिलित किया गया, किन्तु सूची की वैधता अवधि में रिक्ति उपलब्ध न रहने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकी। विभागीय उम्मीदवारों हेतु लिखित परीक्षा, योग्यता, अनुभव एवं गोपनीय प्रविष्टियों आदि के मापदण्ड थे तथा अंत में साक्षात्कार होता था, जबकि प्रत्यक्ष भर्ती में केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ही मापदण्ड थे। यह भी उल्लेखनीय है कि दो पृथक-पृथक मेरिट सूचियाँ बनाई गई थीं और एक मेरिट सूची का दूसरी सूची से कोई संबन्ध नहीं था। चयनित उम्मीदवारों की सूची को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था और उपलब्ध रिक्ति के अनुसार, वैधता अवधि के भीतर, श्रेणी क्रम के आधार पर पदोन्नति दी गई। याचिकाकर्ता को प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आवेदन करने में कोई रोक नहीं थी, जैसा कि उत्तरवादी

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्रमांक 5 ने किया, किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अतः याचिकाकर्ता इस याचिका में माँगी गई किसी भी राहत का अधिकारी नहीं है।

7. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता के तर्क एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। मैंने उत्तरवादी क्रमांक 1/एस.ई.सी.एल. द्वारा संधारित मूल अभिलेखों का भी निरीक्षण किया, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

8. यह स्पष्ट है कि विभागीय उम्मीदवारों के पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया एवं प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के विरुद्ध चयन की प्रक्रिया पूर्णतया भिन्न थी, यद्यपि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों एक साथ लिए गए थे। विभागीय कोटा हेतु लिखित परीक्षा के अधिकतम 40 अंक, साक्षात्कार 25 अंक, योग्यता 10 अंक, अनुभव 10 अंक एवं गोपनीय रिपोर्ट 50 अंक निर्धारित थे। याचिकाकर्ता को विभागीय कोटे के विरुद्ध ही विचारार्थ रखा गया क्योंकि उसके पास प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आवश्यक प्रथम या द्वितीय श्रेणी में स्नातक (कला/विज्ञान/वाणिज्य) एवं प्रथम श्रेणी विधि स्नातक की मूल योग्यता तथा सिविल/क्रिमिनल एवं टैक्सेशन मामलों में पाँच वर्ष के अधिवक्ता अनुभव की शर्त पूर्ण नहीं थी। उसने प्रत्यक्ष भर्ती हेतु आवेदन भी नहीं किया था

9. नोटशीट का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि विभागीय कोटा के अंतर्गत विभागीय अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची (merit list) 20 अभ्यर्थियों की तैयार की गई थी। श्री पी. जी. गोडबोले को कुल 79 अंक प्राप्त होने पर क्रमांक 1 पर रखा गया और याचिकाकर्ता को 68 अंक प्राप्त होने के आधार पर क्रमांक 20 पर अंतिम अभ्यर्थी के रूप में रखा गया।

उसी दिन, प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत विभागीय अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची तैयार की

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

गई, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 5 को चुना गया, जिसे 200 अंकों की लिखित परीक्षा में 114 अंक तथा 40 अंकों के साक्षात्कार में 30 अंक प्राप्त हुए, कुल 144 अंक।

उत्तरवादी क्रमांक 5 विभागीय कोटे के अंतर्गत विभागीय अभ्यर्थियों की योग्यता सूची में नहीं था। अतः याचिकाकर्ता और उत्तरवादी क्रमांक 5 के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता का यह भी प्रकरण नहीं है कि उसने स्नातक उपाधि में प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी तथा विधि स्नातक में प्रथम श्रेणी तथा पाँच वर्ष का अनुभव अधिवक्ता के रूप में प्राप्त किया हो, जैसा कि प्रत्युत्तर (Rejoinder) पी/10 (पेपर बुक के पृष्ठ 149) से स्पष्ट है। अतः भेदभाव का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि याचिकाकर्ता और उत्तरदवादी क्रमांक 5 की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. जहाँ तक श्री ए. के. शुक्ला की नियुक्ति का प्रश्न है, यह 23.03.1998 के आदेश (परिशिष्ट पी/6) के अनुसार की गई थी, जो मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी. क्र. 1282/1997 में पारित किया गया था, और इसलिए, इसे पैनल सूची के प्रमाणीकरण के उदाहरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता।

11. उत्तरवादी अधिकारियों ने रिक्ति की स्थिति पर विचार किया, जिसे उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा स्वीकृत किया गया था, और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चयन सूची की वैधता, जो 17.05.1997 को समाप्त हो गई थी, बढ़ाई नहीं गई, जो इस प्रकार है —

> "**विषय:** विभागीय कोटे के अंतर्गत विभागीय अभ्यर्थियों की विधि-अधिकारी के रूप में E2 ग्रेड में पदोन्नति/नियुक्ति।

लिखित परीक्षा जो 10.12.1995 को आयोजित की गई तथा तत्पश्चात 24.2.1996 को लिए गए साक्षात्कार के आधार पर 20 विभागीय अभ्यर्थियों का पैनल गैर-कार्यकारी संवर्ग से कार्यकारी संवर्ग में E2 ग्रेड में विधि अधिकारी पद पर पदोन्नति/नियुक्ति हेतु विभागीय कोटे के अंतर्गत तैयार किया गया। उक्त पैनल को सी.आई.एल के अध्यक्ष द्वारा 18.5.1996 को अनुमोदित किया गया।

रिक्तियों के आधार पर 13 अभ्यर्थियों को समय-समय पर विधि अधिकारी के रूप में पदोन्नत/नियुक्त किया जा चुका है। निम्नलिखित 7 अभ्यर्थी अभी भी पैनल में शेष हैं —

1. श्री ए. के. शुक्ला
2. श्री एस. के. मित्रा
3. श्री एस. के. बनर्जी
4. श्री नंद किशोर सिंह
5. श्री आर. के. यादव
6. श्री मोहम्मद अफ़ज़ल
7. श्री ए. ए. ख़ान

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इनकी पदोन्नति/नियुक्ति विभागीय कोटे के अंतर्गत रिक्ति के अभाव में नहीं की जा सकी, क्योंकि पदों के समर्पण और स्वीकृत शक्ति के पुनरीक्षण के कारण ऐसा हुआ।

यद्यपि संशोधित स्वीकृत शक्ति के अनुसार विधि विभाग में E2/E3 ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं है, तथापि कुल रिक्ति स्थिति (E1 से M3 ग्रेड तक) 5 है, अर्थात् विभागीय कोटे के अंतर्गत 3 पद।

चूंकि सहायक कंपनियों में विधिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी है, अतः सी.एल.एम., सी.आई.एल. कंपनियों में विधिक अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति हेतु दबाव बना रहा है ताकि विधिक मामलों का समुचित निपटारा हो सके। बाहरी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के हमारे हाल के प्रयास भी सफल नहीं हुए हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया कि वे 7 अभ्यर्थी, जिन्हें उद्योग में विशेष रूप से विधिक मामलों में लंबा अनुभव है, उन्हें E2 ग्रेड में विधि अधिकारी के रूप में पदोन्नत/नियुक्त किया जाए।

पद समर्पण के बाद प्रस्तावित पुनर्वितरण स्थिति के अनुसार, विधिक विभाग की स्वीकृत शक्ति, कार्यरत शक्ति और रिक्ति स्थिति निम्नानुसार है —

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ग्रेड	**स्वीकृत शक्ति** (SS)	**कार्यरत शक्ति** (WS)	**रिक्ति स्थिति** (VP)
M3	1	0	1
M2	5	2	3
M1	4	3	1
E5	15	9	6
E4	1	5	-4
E3	16	10	6
E2	0	8	-8
JET	0	0	0
E1	0	0	0
कुल :	42	37	5

इसी प्रकार, अर्थशास्त्र (Ex-Cadre) विभाग की स्वीकृत शक्ति और रिक्ति स्थिति निम्नलिखित पुनर्वितरण स्थिति के अनुसार है —

ग्रेड	**SS**	**WS**	**VP**
M3	0	0	0
M2	0	0	0
M1	0	0	0
E5	4	1	3
E4	0	1	-1
E3	10	0	10
E2	0	1	-1
JET	0	0	0
E1	0	0	0
कुल:	14	3	11

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि विधि (लीगल) और अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) (एक्स-कैडर) विषयों में क्रमशः कुल 5 और 11 पद रिक्त पड़े हैं।

कंपनियों की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है कि विधि विषय के 5 रिक्त पदों में से हम 2 पद E2 ग्रेड के लिए संचालित कर सकते हैं, शेष 3 पद बाहरी कोटा के लिए रखे जाएं और पैनल के पुनः प्रमाणीकरण के बाद, जिसकी अवधि 17.5.97 को समाप्त हो गई थी। यह भी प्रस्तावित है कि हम अस्थायी रूप से अर्थशास्त्र (एक्स-कैडर) विषय से 5 पद संचालित कर सकते हैं ताकि हम विभिन्न कोयला कंपनियों में E2 ग्रेड के विधि अधिकारी की आवश्यकता को पूरा कर सकें।

कृपया इसे अनुमोदित करने की कृपा करें।

(एस. ए. यूसुफ)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

27.5.97

<u>सीजीएम (पी एंड आईआर)</u> xxx xxx xxx

<u>निदेशक (पी एंड आईआर)</u> xxx xxx xxx

<u>अध्यक्ष</u> xxx xxx xxx

<u>सीजीएम (पी एंड आईआर)</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैनल का प्रमाणीकरण संभव नहीं।

हस्ताक्षरित/

अस्पष्ट।"

12. इस याचिका में विचार के लिए जो मुद्दा उठाया गया है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को चयन सूची में होने के आधार पर नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसकी अवधि समाप्त हो गई थी, इससे पहले कि याचिकाकर्ता को रिक्ति के अभाव में नियुक्त किया जा सके। याचिकाकर्ता द्वारा ***विजय कुमार शर्मा (पूर्वोक्त)*** पर निर्भरता सुसंगत नहीं है क्योंकि उस प्रकरण में, सामान्य श्रेणी के लिए पैनल की अवधि बढ़ाई गई थी, परंतु ओबीसी श्रेणी के पैनल की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी। इसके अतिरिक्त, ***के. मञ्जुश्री (पूर्वोक्त)*** में रखे गए सिद्धांत, जिनका याचिकाकर्ता ने अवलंब लिया है, इस प्रकरण के तथ्यों पर भी लागू नहीं होते क्योंकि—

वहाँ संबंधित प्रश्न यह था कि क्या चयन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया को बदला जा सकता है। इसी प्रकार, ***हेमानी मल्होत्रा (पूर्वोक्त)*** पर निर्भरता भी याचिकाकर्ता के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं करती।

13.सर्वोच्च न्यायालय ने ***यू.पी. राज्य एवं अन्य बनाम हरीश चंद्र एवं अन्य***[4] के प्रकरण में यह निर्णय दिया कि चयन सूची की वैधता समाप्त हो जाने के बाद किसी उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, और निम्नलिखित रूप में कहा:

> "**10.** उपर्युक्त सांविधिक नियम के बावजूद और उस पर विचार किए बिना, उच्च न्यायालय ने कुछ पूर्ववर्ती निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह माना कि सूची एक वर्ष की अवधि के बाद समाप्त नहीं होती, जो कि स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है।
>
> आगे यह प्रश्न उठता है कि क्या उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की भर्ती के लिए अपीलकर्ता को *परमादेश* जारी करने में उचित कार्य किया। संविधान के अंतर्गत *परमादेश* केवल तभी जारी किया जा सकता है जब आवेदक यह सिद्ध करे कि उसके पास विधिक कर्तव्य के निष्पादन का वैधानिक अधिकार है, जो उस पक्ष के विरुद्ध लागू होता है जिसके विरुद्ध आदेश मांगा गया है, और वह अधिकार याचिका की तारीख को विद्यमान था। *परमादेश* केवल उन्हीं कर्तव्यों के लिए जारी किया जा सकता है जो संविधान, विधि या नियमों/आदेशों के तहत विधिक बल रखते हैं। परंतु *परमादेश* ऐसा नहीं हो सकता जो सरकार को विधि के विपरीत कार्य करने या कुछ अवैध करने के लिए बाध्य करे। यह स्थिति होने पर, और भर्ती नियमों के नियम 26 के संदर्भ में, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय ने यह आपत्तिजनक

[4] (1996) 9 एस सी सी 309

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्देश कैसे जारी किया कि उत्तरवादीगण की भर्ती की जाए, जो चयन सूची दिनांक 4-4-1987 को तैयार की गई थी और जो एक वर्ष के बाद अस्तित्व में नहीं रही। सूची में शामिल व्यक्तियों के अधिकार, यदि कोई थे, तो वे भी समाप्त हो गए थे। सुनवाई के दौरान, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने निश्चित रूप से यह इंगित किया कि प्रशासनिक प्राधिकरणों ने सूची की तैयारी की तिथि से एक वर्ष की अवधि से परे नियुक्तियाँ की हैं। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया गया कि कुछ मामलों में न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नियुक्तियाँ की गईं, परंतु अन्य मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा किया गया हो सकता है। भले ही हम उत्तरवादीगण के अधिवक्ता के इस कथन को स्वीकार करें कि कभी-कभी चयन सूची से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी नियुक्तियाँ की गई हैं, तो भी नियुक्ति प्राधिकारी की ऐसी अवैध कार्रवाई से किसी आवेदक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ***अमलान ज्योती बोरूआह बनाम आसाम राज्य एवं अन्य***[5] में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

42. पुनः ***बिहार राज्य बनाम अमरेन्द्र कुमार मिश्रा*** के प्रकरण में, इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया (एस सी सी पृष्ट 564, पैरा 9):

"**9**. ... यह सर्वविदित है कि एक पैनल का जीवनकाल एक वर्ष का होता है। एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद, जब तक राज्य द्वारा कोई

[5] (2009) 3 एस सी सी 227

उपयुक्त आदेश जारी नहीं किया जाता, उक्त पैनल से कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती।"

इसके अतिरिक्त कहा गया (**अमरेन्द्र प्रकरण**, एस सी सी पृष्ट 565, पैरा 13):

"**13**. पूर्व में उल्लिखित निर्णय इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि प्रतीक्षा सूची पर भी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में यह निर्धारित अवधि से परे प्रभावी नहीं रह सकती।"

15.आगे, सर्वोच्च न्यायालय ने ***बिहार राज्य बनाम उपेन्द्र नारायण सिंह एवं अन्य***[6] के प्रकरण में यह कहा:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"**67.** अब यह स्थापित हो चुका है कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि के समक्ष समानता की गारंटी एक सकारात्मक अवधारणा है, और इसे किसी नागरिक या न्यायालय द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या किसी न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य व्यक्ति उच्च या सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान नहीं कर सकता कि वही अवैधता या अनियमितता दोहराई जाए या गलत आदेश पारित किया जाए। – ***चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, जयपुर विकास प्राधिकरण बनाम दौलत मल जैन, भारत संघ बनाम जे.वी. सुब्बैया, गुरुशरण सिंह बनाम एन.डी.एम.सी., हरियाणा राज्य बनाम राम कुमार मन्न, फरीदाबाद सी.टी. स्कैन सेंटर बनाम डी.जी. हेल्थ सर्विसेज, स्टाइल (ड्रेस लैंड) बनाम यू.टी. चंडीगढ़, बिहार राज्य***

[6] (2009) 5 एस सी सी 65

बनाम कमेश्वर प्रसाद सिंह, भारत संघबनाम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी तथा फिल्म समारोह निदेशालय बनाम गौरव अश्विन जैन।"

16.उपर्युक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए यह विधिक सिद्धांत भलीभांति स्थापित है कि चयन सूची की वैधता समाप्त होने के बाद उत्तरवादी-नियोक्ता को याचिकाकर्ता की नियुक्ति हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। दूसरे, याचिकाकर्ता उत्तरवादी क्रमांक 5 के समानता का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नियुक्ति प्रत्यक्ष भर्ती कोटे के अंतर्गत किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी।

17.उपर्युक्त कारणों से, इस प्रकरण में कोई गुणदोष नहीं पाया गया है और तदनुसार यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18.वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं पारित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/

सतीश के. अग्निहोत्री,

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ………… RANJAN GUPTA, ADVOCATE